



प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 09/03/2021 को थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 82/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में नामजद अभियुक्त राजा कांत पुत्र विन्दादीन निवासी मौहर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।